न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 07/2018
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कानाराम, भैरूराम, रामनिवास, श्रीराम, प्रभात पि0 गंगाबक्स कौम खटीक नि0 भैसलाना तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. भूरी पुत्री गंगाबक्स फौत
   2.1 बाबुलाल पुत्र मालीराम खटीक
   2.2 लक्ष्मण पुत्र मालीराम खटीक
   2.3 श्रवण पुत्र मालीराम खटीक
   निवासी ग्राम करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. गुलाब देवी पुत्री गंगाबक्स पत्नी सोहन लाल जाति खटीक निवासी ग्राम कालाडेरा जिला जयपुर।
4. बिदाम देवी पुत्री गंगाबक्स पत्नी सुरजमल खींची जाति खटीक निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील नावा जिला नागौर।
5. बरजी देवी पुत्री गंगाबक्स पत्नी कालुराम जाति खटीक निवासी प्लाट नं0 सी–34 गोकुलपुरी दिल्ली।
6. ग्राम पंचायत मण्ढाभीमसिंह जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सरपंच/उप सरपंच ग्राम पंचायत मण्ढाभीमसिंह।

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 14.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
   : ब) अधिवक्ता श्री श्यामलाल अग्रवाल अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित खसरा नम्बर 388 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट भू–प्रबन्धक खतौनी सम्वत् 2011 से 2019 खाता संख्या 79 के अनुसार जुवारा वल्द काना कौम खटीक सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 16.09.1962 के द्वारा खातेदारी से सिवायचक दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ है। खसरा नम्बर 388 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा भूमि सिवायचक भूमि न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक आदेश क्रमांक/विविध/(82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 30.03.1984 के द्वारा सिवायचक

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

आदेशित करने पर उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 30.03.1984 के द्वारा सिवायचक से खातेदार जुवारा वल्द काना कौम खटीक सा0 देह0 के नाम स्वीकृत हुआ। खातेदार जुवारा वल्द काना कौम खटीक की फोती पर विरासत नामान्तकरण संख्या 655 दिनांक 31.01.1985 के द्वारा गंगाबक्स पुत्र जुवारा जाति खटीक हा0 आबाद भैसलाना के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ व गंगाबक्स की फोती पर कानाराम, भैरूराम, रामनिवास, श्रीराम, प्रभात पिता गंगा बक्स, भुरी गुलाब, बिदाम, बरजी, पुत्रियां गंगाबक्स कौम खटीक साकिन हाल आबाद भैसलाना के नाम दर्ज हुआ। तथा वर्तमान जमाबन्दी में भैरूराम पुत्र गंगाबक्स के खातेदारी दर्ज है। मुताबिक खसरा ग़िरदावरी सम्वत् 2039 से 2070 तक उक्त भूमि बंजड दर्शाई हुई है तथा मौके पर भूमि सार्वजनिक प्याउ, गटटा, सांड का चबुतरा, आम रास्ता, पशु चिकित्सालय इत्यादि के उपयोग मे आ रही है। तथा खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नही है। उक्त भूमि आराजी खसर नम्बर 388 रकबा 1–9 बीघा वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह मुताबिक मौका रिकार्ड के आधार पर स्पष्ट है कि खातेदार का आज तक कोई कब्जा नही रहा है तथा ना ही मौजुदा समय से कब्जा कास्त है। उक्त भूमि पर मौके पर खातेदार का कब्जा काश्त नही रहने एवं भूमि अन्य कार्य उपयोग में आने के कारण आवंटित भूमि का प्रकरण खातेदार आवंटी के विरूद्ध आवंटन नियम 14 (4) के तहत नियमानुसार प्रकरण तैयार किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 388 रकबा 1–9 बीघा भूमि ग्राम मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगंढ रेनवाल जिला जयपुर की भूमि को निरस्त हेतु प्रकरण तैयार किया गया है। जिसके अनुसार खातेदारी निरस्त की कार्यवाही अपेक्षित है। अतः खसरा नम्बर 388 रकबा 1–9 बीघा भूमि ग्राम मण्डाभीमसिंह तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर की भूमि को पटवारी हल्का कि रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड की प्रतियों के मुताबिक सिवायचक दर्ज किये जाने हुते कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को रजि0 तलबी नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामलाल अग्रवाल उपस्थिति है। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है।

पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 6 की तरफ से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश की गई। जो स्वीकार कर प्रार्थी तहसीलदार को संशोधित उनवान के लिखा गया। अतः पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अप्रार्थी असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित खसरा नम्बर 388 रकबा 1–9 बीघा लगान 1.36 रूपये मुताबिक सेटलमेन्ट भू–प्रबन्धक खतौनी सम्वत् 2011 से 2019 खाता संख्या 79 के अनुसार जुवारा वल्द काना कौम खटीक सा. दे हके नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण सख्या 56 दिनांक 16.09. 1962 के द्वारा खातेदारी से सिवायचक दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ है। खसरा नम्बर 388 रकबा 1–9 बीघा भूमि सिवायचक भूमि न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक आदेश क्रमांक/विविध/ (82) 779 दिनांक 26.08.1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 30.03.1984 के द्वारा सिवायचक से खातेदार जुवारा वल्द काना कौम खटीक सा0 देह0 के नाम स्वीकृत हुआ। खातेदार जुवारा वल्द काना कौम खटीक की फोती पर विरासत नामान्तकरण संख्या 655 दिनांक 31.01.1985 के द्वारा गंगाबक्स पुत्र जुवारा जाति खटीक हा0 आबाद भैसलाना के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ व गंगाबक्स की फोती पर कानाराम, भैरूराम, रामनिवास, श्रीराम, प्रभात पिता गंगा बक्स, भुरी गुलाब, बिदाम, बरजी, पुत्रियां गंगाबक्स कौम खटीक साकिन हाल आबाद भैसलाना के नाम दर्ज हुआ। तथा वर्तमान जमाबन्दी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 6 ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि जागीर भूमि थी। यह भूमि मवेशियों के चरने के काम में आती थी। उक्त भूमि पर कभी कृषि कार्य नहीं हुआ, ना ही कृषि योग्य भूमि थी। खातेदारों द्वारा सार्वजनिक हित में भूमि सरेन्डर करने के बाद भूमि सिवायचक दर्ज हुई जो बदस्तूर जारी है। आवंटन कमेटी को सन् 1976 से पूर्व राजस्व अंकन नियमानुसार खातेदारों की सहमति से हुये थे, जो अन्तिम हो गये थे, जिस पर खातेदारान ने कभी कब्जा या अधिकार क्लेम नहीं किया था, ना लगान जमा कराया था। उपजिलाधीश का आदेश बिना किसी प्रस्ताव बिना किसी अधिकार बिना किसी जांच के पारित किया गया है। भूमि गिरदावरी संवत 2039 से 2070 तक बंजर दर्शाई है। उक्त लम्बी अवधि में ग्राम जनता व ग्राम पंचायत ने भूमि पर सार्वजनिक हित के कार्य कर राजकीय सहायता से वर्तमान में गौशाला संचालित है। पूर्व में भूमि खालडा दर्ज थी। कृषि के काबिल नहीं थी। गौचर के काम आती थी। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर भूमि पुनः राजकीय खाते में दर्ज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित खसरा नम्बर 388 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट भू–प्रबन्धक खतौनी सम्वत् 2011 से 2019 खाता संख्या 79 के अनुसार जुवारा वल्द काना कौम खटीक सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण सख्या 56 दिनांक 16.09.1962 के द्वारा खातेदारी से सिवायचक दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ है। खसरा नम्बर 388 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सिवायचक भूमि न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक/विविध/(82) 779 दिनांक 26.08.1982 द्वारा आवंटन कमेटी के निर्णय दिनांक 28.05.1975 के अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर उक्त भूमि नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 30.03.1984 के द्वारा सिवायचक से खातेदार जुवारा वल्द काना कौम खटीक सा0 देह0 के नाम स्वीकृत हुआ। खातेदार जुवारा वल्द काना कौम खटीक की फौती पर विरासत नामान्तकरण संख्या 655 दिनांक 31.01.1985 के द्वारा गंगाबक्स पुत्र जुवारा जाति खटीक के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ व गंगाबक्स की फौती पर कानाराम, भैरूराम, रामनिवास, श्रीराम, प्रभात पिता गंगा बक्स, भुरी गुलाब, बिदाम, बरजी, पुत्रियां गंगाबक्स कौम खटीक के नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि वर्तमान जमाबन्दी में भैरूराम पुत्र गंगाबक्स के खातेदारी दर्ज है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2039 से 2070 तक उक्त भूमि बंजड दर्शाई हुई है तथा मौके पर भूमि सार्वजनिक प्याऊ, गट्टा, सांड का चबुतरा, आम रास्ता, पशु चिकित्सालय इत्यादि के उपयोग मे आ रही है तथा खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त प्रश्नागत भूमि का आवंटन दिनांक 28/05/1975 को किया गया था। आवंटन पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा 26/08/1982 को आदेश दिये गये, उसी के आधार पर खातेदारी का नामान्तरण दिनांक 30/03/1984 को दर्ज किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र दिनांक 15/06/2015 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात खातेदार के खातेदारी अधिकार भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त नही किया जा सकते हैं। खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सक्षम धाराओं में ही समाप्त की जा सकती है। अतः खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भूमि कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रकरण के सन्दर्भ में सक्षम धाराओं में चाराजोही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.07.2018 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •